प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.05.2024

स्वाट टीम ग्रामीण जोन तथा थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा विक्रम मावी हत्याकांड के 50000 रूपये के इनामिया अपराधी को दिनांक 24.05.24 को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा नाजायज मय जिंदा व खोखा कारतूस तथा 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनाँक-24/05/24 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनाँक-11/05/24 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में पाइपलाइन रोड पर टीला के विक्रम मावी की हत्या करने वाले बदमाश टीला मोड की और से सेवाधाम की ओर मंडोली के रास्ते दिल्ली भागने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस चौकी सेवाधाम से आगे टीला मोड की ओर सघन चैकिंग की जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल पर आ रहे संदिग्ध को टोर्च की रोशनी दिखा कर रोकने का प्रयास किया तो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ा कर वापस मोटरसाइकिल मुडाकर भागने का प्रयास करने लगा तो मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई जिसके उपरांत बदमाश पुलिस टीम को निशाना कर जानलेवा फायर करने लगा पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिसमें बदमाश घायल हो गया ।घायल बदमाश ने मौके पर ही संक्षिप्त पूछताछ में अपना नाम टिंकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद बताया तथा बताया कि उसने तथा उसके साथियो ने ही पवन भाटी के साथ मिलकर विक्रम मावी की हत्या की है 1 जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर हत्या का अभियोग पंजीकृत है थाना कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त मुकदमें में ही अभियुक्त टिंकू उर्फ हेमंत की गिरफ्तारी पर 50000 रूपये का पुरस्कार घोषित है। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। तथा अन्य विस्तृत पूछताछ की जायेगी।

अभियुक्त का नाम पता

1. टिंकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष (घायल)

बरामदगी का विवरण

1.. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस

2.. एक अदद मोटरसाइकिल चोरीशुदा

गिरफ्तार करने वाली टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन तथा थाना लोनी बॉर्डर पुलिस

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया एक मोबाइल फोन व चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद

घटना का विवरणः-दिनांक 23.05.2024 को वादी राजाराम निवासी हिम्मतपुरा माधवगढ छतरपुर मध्य प्रदेश ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक का मोबाइल छीन ले जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद व मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त अनुज यादव उर्फ कटप्पा पुत्र अवधेश यादव निवासी बबोरिया, थाना मौहम्मदाबाद, जिला फरुखाबाद उम्र 23 वर्ष को एनडीआरएफ रोड तुलसी चौक की तरफ से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से लूट का एक मोबाइल फोन व चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त अनुज यादव से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैने यह मोबाइल दिनांक 23.05.2024 को NDRF रोड पर जा रहे एक पुरुष व महिला से छीना था और घटना में प्रयुक्त यह मोटर साइकिल कुछ दिन पहले थाना कोतवाली क्षेत्र से चोरी की थी।

बरामदगीः-

1. लूट का एक मोबाइल
2. चोरी की एक मोटर साइकिल प्लेटिना

अभियुक्त का नाम पता-

अनुज यादव उर्फ कटप्पा पुत्र अवधेश यादव निवासी बबोरिया, थाना मौहम्मदाबाद, जिला फरुखाबाद उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा घरों से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 जोडी पायल सफेद धातु बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 25.06.2023 को वादी सौरभ चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी निवासी मकान नं0 ए-1/100 डीएलएफ शालीमार गार्डन द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में से सोने चादी के आभूषण व 50,000/- रुपये चोरी कर लिये है। दिनांक 20.07.2023 को वादी हैदर अली पुत्र आईनूल निवासी गली नं0 9 राजीव कालोनी भौपुरा द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर से सोने चादी के आभूषण, 05 मोबाइल फोन व 4,00,000/- रुपये चोरी कर लिये है। दिनांक 01.12.2023 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी मुहम्मद युनुस पुत्र अब्दुल वहीद निवासी प्लाट नं0 35 फ्लैट नं0 502 ,सुपरटैक इन्कलेव इन्कलेव ग्रीन हाईवे सोसाइटी एक्स-1 शालीमार गार्डन द्वारा तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोडकर सोने की चेन व अगूठी ,चादी की पाजेब और 11,000/- रुपये चोरी हो गये है। दिनांक 15.01.2024 को वादी शाहनाबाद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी बी 132 तीसरा फ्लोर शालीमार गार्डन द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड कर सोने चादी के आभूषण व 72,000/-रुपये चोरी कर लिये है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 24.05.2024 को उक्त घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त 1.आसिफ पुत्र शकील निवासी मकान सी-112 गली नं0 1 पप्पू कालोनी थाना शालीमार

गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष, 2. तालिब उर्फ आमिर पुत्र मौ0 हारुन निवासी एच ब्लाक गली नं0 8 सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली 110093 उम्र करीब 28 वर्ष को कब्रिस्तान शालीमार गार्ड़न मैन के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसने कब्जे से 02 जोडी पायल सफेद धातु बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. आसिफ पुत्र शकील निवासी मकान सी-112 गली नं 1 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

2. तालिब उर्फ आमिर पुत्र मौ0 हारुन निवासी एच ब्लाक गली नं0 8 सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली 110093 उम्र करीब 28 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- कब्जे से 02 जोडी पायल सफेद धातु बरामद।

<u>अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास</u>

- अभियुक्त तालिब उपरोक्त के विरुध्द दिल्ली में चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरुध्द थान शालीमार गार्डन व साहिबाबाद पर चोरी का एक-एक अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।